न्यायालय जिला कलक्टर, बांसवाड़ा (राज.)

पीठासीन अधिकारी – डॉ.इंद्रजीत यादव, IAS

प्रकरण संख्या : 23/2024
जीसीएमएस नं. : 2024/94

प्रार्थी :–

सरकार जरिये प्रवर्तन अधिकारी, जिला रसद कार्यालय, बॉसवाडा

बनाम

अप्रार्थी :–

श्री मनोहर जोशी/ कैलाश जोशी, प्रोपराईटर जोशी नमकीन एवं मिष्ठान भण्डार, दानपुर जिला बॉसवाडा (राजस्थान)

उपस्थित

–विभागीय प्रतिनिधि

श्री दिलीप गामोड, अधिवक्ता

निर्णय

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955

दिनांक :– 09–01–2025

संक्षेप में प्रकरण इस प्रकार है कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 29.09.2024 को जोशी मिष्ठान एवं नमकीन भण्डार, दानपुर, जिला बॉसवाडा (राजस्थान) की जांच श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत प्रवर्तन अधिकारी, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। जांच के दौरान जोशी मिष्ठान भण्डार, दानपुर, जिला बॉसवाडा (राजस्थान) पर फर्म के प्रोपराईटर श्री मनोहर जोशी उपस्थित मिले। मौके पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करनाएवं 2 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। उक्त गैस सिलेण्डरो का विवरण निम्नानुसार है–

क्र. स.	नाम ऑयल कम्पनी	सिलेंडर का एस. आर. नम्बर	कुल वजन किग्रा. में	खाली सिलेण्डर वजन	गैस का वजन
1	भारत गैस	602800 P	22.500	15.700	6.800
2	भारत गैस	58020 S	18.300	15.900	2.400
3	भारत गैस	03439	16.400	16.400	0.000

श्री मनोज जोशी द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण व उपयोग के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य

Signature Not Verified

प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 03 घरेलु सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 03 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किए जाकर सानिया भारत गैस, छोटी सरवन के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मानसिंह/ शम्भु मईडा को सुपुर्दगी में दिया गया।

इस प्रकार प्रवर्तन अधिकारी बॉसवाडा द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत प्रस्तुत कर मौके से उपरोक्तानुसार जप्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

प्रकरण दर्ज कर अप्रार्थी को जरिये समन तलब किया गया। दिनांक 28.11.2024 को अप्रार्थी की ओर से श्री दिलीप गामोड अधिवक्ता का अभिभाषक पत्र व दिनांक 20.12.2024 को जवाब प्रस्तुत हुआ अप्रार्थी ने जवाब में मुख्य रुप से यह उल्लेख किया कि विभाग द्वारा 3 गैस सिलेण्डर जप्त किये गए है। 3 गैस सिलेण्डर में से 1 सिलेण्डर मेरे स्वयं के नाम से है, 1 मेरे भाई की पत्नी अनुराधा पत्नि मुकेश के नाम व 1 मेरे परिचित मेरी दुकान के पास रहने वाली श्रीमती मन्जु पत्नी दिलीप निनामा निवासी मानपुरी का है, जिन्होने गैस भरवाने के लिये मेरी दुकान के बाहर रखा हुआ था क्योंकि सिलेण्डर भरने वाले वाहन मेरे परिचित के मकान तक आने जाने में असमर्थ होने के कारण उनके द्वारा मेरी दुकान के बाहर सिलेण्डर रखा हुआ था और मेरी दुकान पर काम करने वाले कर्मचारी ने दुकान के बाहर सिलेण्डर रख दिये थे तथा मेरा घरेलु सिलेण्डर गलती से मेरे कर्मचारी द्वारा लगा दिया गया था जो मेरी जानकारी में नही था। मुझ प्रार्थी द्वारा किसी भी प्रकार से घरेलु गैस सिलेण्डर का कोई दुरुपयोग नही किया गया है एवं मेरे द्वारा कोई अवैध व्यवसाय या कारोबार नही किया जाता है मेरी दुकान पर व्यवसायिक सिलेण्डर का ही उपयोग किया जाता है जो व्यवसायिक गैस सिलेण्डर का कनेक्शन मेरे नाम से है। अनुराधा व मन्जु जिनका गैस कनेक्शन उनके नाम से है के द्वारा शपथ पत्र प्रस्तुत किये है। मुझ प्रार्थी की दुकान से जब्त किये गये 1 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किया जाता है तो मुझे कोई आपत्ति नही है। श्रीमती मन्जु व अनुराधा के शपथ पत्र का अवलोकन कर दोनो के गैस सिलेण्डर सुपूर्द किये जाने की कृपा दृष्टि फरमावे।

दिनांक 09.01.2025 को अप्रार्थी के अधिवक्ता ने उपस्थित होकर अपने जवाब में प्रस्तुत बिन्दुओ को ही अपनी ओर से बहस मानकर प्रकरण निस्तारित करने निवेदन किया।

Signature Not Verified

प्रार्थी की ओर से विभागीय प्रतिनिधि ने कथन किया कि खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति विभाग राजस्थान सरकार द्वारा घरेलू एलपीजी सिलेण्डरो के दुरुपयोग/ अवैध रिफिलिंग के विरुद्ध दिनांक 17.09.2024 से 27.09.2024 तक चलाए गए सघन अभियान के तहत दिनांक 29.09.2024 को जोशी मिष्ठान एवं नमकीन भण्डार, दानपुर, जिला बॉसवाडा (राजस्थान) की जांच श्री धर्मेन्द्र कुमार रोत प्रवर्तन अधिकारी, श्री विनोद कुमार पाटीदार प्रवर्तन निरीक्षक, श्री सुनिल कुमार मीणा प्रवर्तन निरीक्षक, श्री गौरव सुथार प्रवर्तन निरीक्षक द्वारा की गई। जांच के दौरान जोशी मिष्ठान भण्डार, दानपुर, जिला बॉसवाडा (राजस्थान) पर फर्म के प्रोपराईटर श्री मनोहर जोशी उपस्थित मिले। मौके पर 01 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग करनाएवं 2 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग हेतु भण्डारण करना पाया गया। श्री मनोज जोशी द्वारा व्यवसायिक स्थल पर घरेलु गैस सिलेण्डरो के भण्डारण व उपयोग के सम्बन्ध में किसी प्रकार का संतोषजनक जवाब नही दिया गया, न ही किसी प्रकार के साक्ष्य प्रस्तुत किए गए। इस प्रकार मौके पर व्यवसायिक स्थान पर 03 घरेलु सिलेण्डरो का व्यवसायिक उपयोग किया जाना पाये जाने एवं द्रवित पेट्रोलियम गैस (प्रदाय का विनियमन एवं वितरण) आदेश 2000 के खण्ड 3 (ग), 4(1 क), 6, 7 (क,ख,ग) का उल्लघंन होने के साथ ही आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के खण्ड 3/7 के तहत दण्डनीय अपराध है। मौके पर पाये गये 03 घरेलु गैस सिलेण्डर जब्त किए जाकर सानिया भारत गैस, छोटी सरवन के अधिकृत प्रतिनिधि श्री मानसिंह/ शम्भु मईडा को सुपुर्दगी में दिया गया। प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार कर उपरोक्तानुसार जप्त 03 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात करने हेतु निवेदन किया।

हमने पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया। अप्रार्थी से उपरोक्तानुसार व्यवसायिक स्थान पर 03 घरेलु सिलेण्डर का व्यवसायिक उपयोग एवं भण्डारण करना पाया गया है। पत्रावली के संलग्न फर्द मौका एवं जब्ती पर अप्रार्थी के हस्ताक्षर है। इस प्रकार अप्रार्थी द्वारा व्यवसायिक फर्म पर घरेलु गैस का उपयोग किया जाना व भंडारण किया जाना प्रमाणित है।

अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 6–ए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 स्वीकार किया जाकर उपरोक्तानुसार जब्त शुदा 03 घरेलु गैस सिलेण्डर को राजसात किये जाने के आदेश दिये जाते है। जिला रसद अधिकारी, बांसवाड़ा उक्त गैस सिलेण्डर का नियमानुसार निस्तारण करें।

निर्णय आज दिनांक 09–01–2025 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(डॉ इन्द्रजीत यादव)
जिला कलक्टर
बांसवाड़ा (राज.)

Signature Not Verified
Digitally signed by Inderjeet Yadav
Date: 2025.03.27 12:41:55 IST
Reason: SelfAttested